

Hindi

← Back

रूढरण खतौनी (अपमाणित पति)



भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

ग्राम कोड : 124621

फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से
30 जून, 2025)

खाता संख्या : 00084

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू- राजस्व

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति
(भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /
विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण
बही) हेतु खसरा संख्या पर
क्लिक करें।

787	1) कृष्ण गोपाल / रतन सिंह / नि. रोहता	1410फ0	787 (1246210787000012)	1.3870	31.60
	2) ओमकार सिंह / उदय सिंह / नि. नैनाना जाट				
	3) कीरत सिंह / उदय सिंह / नि. नैनाना जाट				

कुल गाटे : एक **कुल क्षेत्रफल :** एक दशमलव तीन आठ सात शून्य (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : तीन एक दशमलव छह शून्य रुपये

अप्रमाणित प्रति

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया	दर्ज किया गया				
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)
1) अन्य / T202501010102000 / 01-03-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 02-04-2025	1.1) ओमकार सिंह/ उदय सिंह/नि. नैनाना जाट (: -)	787 (1246210787000012)	1.1) -	1.1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा / - /	787 (1246210787000012)	1.1) -
2) अन्य / T202501010101853	2.1) कीरत सिंह/ उदय सिंह/नि. नैनाना जाट (: -)		2.1) -	3.1) -		2.1) आगरा विकास

/ 27-02-2025 / विक्रय 3.1) कृष्ण गोपाल/
/ ASHOK KUMAR () / रतन सिंह/नि. रोहता
02-04-2025 (: -)

प्राधिकरण
आगरा / - /
-

3) अन्य /
T202501010102004
/ 01-03-2025 / विक्रय
/ ASHOK KUMAR () /
02-04-2025

3.1) आगरा
विकास
प्राधिकरण
आगरा / - /
-

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार (पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार (पिता-पति-संरक्षक)) :

अभ्युक्ति :

1) 1428फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा रोहता आगरा के आदेश दि० 28-09-20 के अनुसार कृष्णगोपाल पुत्र रतन सिंह का खाता 421000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 13-10-20/1159 (डिजिटल हस्ताक्षर : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 14-10-2020)

2) 1422फ:- व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक इण्डियन ओवर सीज बैंक शाखा रोहता आगरा के आदेश दि० 04-12-14 के अनुसार कृष्णगोपाल पुत्र रतनसिंह व ओमकारसिंह, कीरत सिंह पुत्रगण उदयसिंह का खाता 300000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 06-12-14 (डिजिटल हस्ताक्षर : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 18-11-2019)

3) 1431फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा रोहता आगरा के आदेश दि० 18-04-24 के अनुसार कृष्णगोपाल पुत्र रतन सिंह व ओमकार सिंह, कीरत सिंह पुत्रगण उदय सिंह का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 5915 (डिजिटल हस्ताक्षर : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 20-07-2024)

4) संशोधित 1428फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा रोहता आगरा के आदेश दि० 28-09-20 के अनुसार कृष्णगोपाल पुत्र रतन सिंह व ओमकार सिंह, कीरत सिंह पुत्रगण उदय सिंह का खाता 421000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 13-10-20/1159 (डिजिटल हस्ताक्षर : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 22-05-2021)

पूर्व आदेशों का विवरण :

1) 1431फ कार्यालय सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति आगरा मुकदमा नं० 02 ता०फै० 25-04-2022 विज्ञप्ति संख्या का०आ०3870(अ) दि० 20-09-2021 के अनुसार मौजा ककुआ के गाटा संख्या 787 रकवा 0.7153हे० कृष्ण गोपाल पुत्र रतन सिंह नि. रोहता व ओमकार सिंह पुत्र उदय सिंह नि. नैनाना जाट व कीरत सिंह पुत्र उदय सिंह नि. नैनाना जाट से का नाम पृथक करके उसके स्थान पर नवीन इनर रिंग रोड निर्माण हेतु (राष्ट्रपति भारत सरकार वास्ते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली) का नाम दर्ज हो द्वारा परवाना ह०आर०के०

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



न्यायालय :- तहसीलदार
 मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010101853
 वाद संख्या:- 1853/2025
 आगरा विकास प्राधिकरण बनाम कीरत सिंह
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 27/02/2025

वाद सं० ज्202501010101853/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम कीरत सिंह

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 787 रकवा 1.3870हे० में से 0.7153हे० राष्ट्रीय मार्ग में अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.6717हे० का 1/4 भाग यानि रकवा 0.167925हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने कीरत सिंह से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। मौजा ककुआ के गाटा संख्या 787 रकवा 1.3870हे० में से 0.7153हे० राष्ट्रीय मार्ग में अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.6717हे० का 1/4 भाग यानि रकवा 0.167925हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00084 के गाटा संख्या 787 रकवा 1.3870हे० में से 0.7153हे० राष्ट्रीय मार्ग में अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.6717हे० का 1/4 भाग यानि रकवा 0.167925हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता कीरत सिंह पुत्र श्री उदय सिंह निवासी ग्राम ककुआ तह० व जिला



आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर संभू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 14105700/-रू0 आवेदन संख्या-202400766065249 दिनांक 17.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
 मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102000
 वाद संख्या:- 2000/2025
 आगरा विकास प्राधिकरण बनाम ओमकार सिंह
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 01/03/2025

वाद सं० ज्202501010102000/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम ओमकार सिंह

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 787 रकवा 1.3870हे० में से 0.7153हे० राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.6717हे० का 1/4 भाग यानि रकवा 0.167925 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने ओमकार सिंह से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/रा०नि०कार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 787 रकवा 1.3870हे० में से 0.7153हे० राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.6717हे० का 1/4 भाग यानि रकवा 0.167925 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है।

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00084 के गाटा संख्या 787 रकवा 1.3870हे० में से 0.7153हे० राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.6717हे० का 1/4 भाग यानि रकवा 0.167925 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता ओमकार सिंह पुत्र उदय सिंह निवासी ककुआ तह० व जिला आगरा



का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर संभू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 14105700/-रू0 आवेदन संख्या-202400766062258 दिनांक 17.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
 मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102004
 वाद संख्या:- 2004/2025
 आगरा विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण गोपाल
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 01/03/2025

वाद सं० ज्202501010102004/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम कृष्ण गोपाल

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 787 रकवा 1.3870हे० में से 0.7153हे० राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.6717हे० का 1/2 भाग यानि रकवा 0.33585हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने कृष्ण गोपाल से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/रा०नि०कार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 787 रकवा 1.3870हे० में से 0.7153हे० राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.6717हे० का 1/2 भाग यानि रकवा 0.33585हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00084 के गाटा संख्या 787 रकवा 1.3870हे० में से 0.7153हे० राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.6717हे० का 1/2 भाग यानि रकवा 0.33585हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता कृष्ण गोपाल पुत्र श्री रतन सिंह निवासी ग्राम ककुआ तह० व जिला



आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर संभू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 28211400/-रू0 आवेदन संख्या-202400766065236 दिनांक 17.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"